

Government of West Bengal Department of Food & Supplies খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



e-Ration Card

Information

- E-Ration Card has the same validity as that of a printed Digital Ration Card and can be used to drawfood-grains and kerosene oil under Public Distribution System(PDS) from Fair Price Shops.
- 2. All e-Ration Cards with (I) before the card number (e.g. (I) RKSY-I 00000000011 indicate Inactive Ration Card.
- All e-Ration Cards need to be activated through fingerprint/OTP based authentication. Fingerprint-based authentication can be done from any ration shop or Food Inspector office, or Bangla Sahayata Kendra and OTP based authentication can be done from www.food.wb.gov.in with OTP in registered mobile number in Aadhaar.
- 4. Any beneficiary presenting active e-Ration Card cannot be denied food-grains under PDS
- 1. ই-রেশন কার্ড এবং প্রিন্টেড ডিজিটাল রেশন কার্ডের বৈধতা সমান্তবং ই-রেশুন কার্ড মারফত ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান থেকে গণ বণ্টন ব্যাবস্থার মাধ্যমে বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী এবং কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে।
- যেসমন্ত ই-রেশন কার্ডে কার্ড নাম্বারের আর্গে (।) (য়েমন (।) RKSY-। 0000000001) আছে সেই সমন্ত কার্ড নিক্রিয়।
- রেশন কার্ড সক্রিয় করার জন্য আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে/ ওটিপি দিয়ে ই-কেওয়ায়স করতে হবে। যে কোন রেশন দোকানে অথবা খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে অথবা বাংলা সহায়তা
 কেল্পে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ই-কেওয়াইসি করা যাবেএবং আধারের সঙ্গে লিক্কভ থাকা আবাইল নাহারে ওটিপি-র মাধ্যমে www.food.wb.gov.in. থেকে ই-কেওয়াইসি করা যাবে।
- 4. শুধু ই-রেশন কার্ডের কপি দেখানোর জন্য উপভোক্তাকে বরাদ্দ রেপুন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা যাবে না

जानकारी

- 1. ई-राशन कार्ड की वैद्यता मुद्रित डिजिटल राशन कार्ड की तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के तेल को निकालने के लिए किया जा सकता है।
- 2. सभी ई-राशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKSY-(00000000) निष्क्रिय राशन कार्ड द्रशति हैं।
- सभी ई-राशन कार्डों को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय, या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है। अर आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ www.food.wb.gov.in से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-राशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी की पीडीएस के तहत खाद्यात्र से वंचित नहीं किया जा सकता है।

जानकारी

- 1. ई-राशन कार्डको वैधता मुद्रित डिजिटल राशन कार्डको जस्सै नै छ र यसलाई सार्वजनिक वितरण प्र<mark>णाली (PDS) अन्तर्गत खाद्यात्र र महितेल राशन दोकान (FPS) बाट उठाउन प्रयोग गर्न सिकन्छ।</mark>
- कार्ड नम्बर अघि (I) भएका सबै ई-राशन कार्डहरू [जस्ते(I) RKSY-I 0000000001] -ले निष्क्रिय राशन कार्डलाई संकेत गर्दछ
 सबै ई-राशन कार्डहरू फिंगरप्रिन्ट / OTP आधारित प्रमाणीकरण मार्फत सक्रिय गर्न आवश्यक छ ।
- 3. सबै ई-राशन कार्डेहरू फिगरप्रिन्ट / OTP आधारित प्रमाणीकरण माफेत सक्रिय गर्ने आवश्यक छ । फिगरप्रिन्ट-आधारित प्रमाणीकरण कुनै पनि राशन दोकान वा खाद्य निरीक्षक <mark>कार्यालय वा बंगला सहायता</mark> केन्द्रबाट गर्न सिकन्छ । OTP आधारित प्रमाणीकरण www.food.wb.gov.in बाट आधारमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा OTP बाट गर्न सिकन्छ ।
- 4. सक्रिय ई-राशन कार्ड प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि लाभार्थीलाई PDS अन्तर्गत खाद्यात्र प्रदान गर्न अस्वीकार गर्न सकिँदैन

للكارى

- ۱- ای رادن کارڈ ویسی ہی قابل قبول ہے جیسی پرنٹ ددہ ٹیجیٹل رادن کارڈ اور میر کیکرٹسٹری بیوٹس سٹھ کلے تک قیئر پر اس دیاری ہے اور کیروسین قبل اٹھانے کے لیے استعمل کیا جا سکتا ہے۔
 - ۲- کارڈ نمبر سے پہلے (ا) والے تمام ای راش کارڈ جیسے 0000000001 () ،عبر فعل انس کارڈ کی شہریہی کاریا ج
- ۳۔ تمام ای راشن کارٹز کو فدگر پرنٹ/او ٹی پی پر مبنی تصدیق کے ذریعے محرک (activate) کرنے کی ضروعرت ہے۔ فدگر پرنٹ پر سہایاتا کیندر (BSK) اور CTP پر مبنی توثیق آدھر میں رجشڑڈ موبلٹل نمبر میں OTP کے سٹھ www.food.wb.gov.in سے کی جا سکتی ہے۔
 - ٤ فعل اى راشن كارڈ بيش كرنے والے شخص كو يى ڈى ايس كے تحت اناج دينے سے انكار نہيں كيا جاسكتا.

Downloaded On: 15/09/2023 12:06:38

Ration Card Number: RKSY-I 2002056034

Name: ANINDYA DEBNATH







Scan this QR Code to see Last 2 Transaction you have done from your Card.





